(21)

न्यायालय चन्द्रभान सिंह भाटी, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

अपील संख्या : 16/2019

1— सुमनकंवर पुत्री सांगसिंह पत्नि समंदरसिंह जाति राजपूत निवासी पेथडो की ढाणी तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल आबाद ग्राम भोजासर तहसील रतनगढ जिला चुरू

— अपीलांटस

बनाम

1— हरकंवर पत्नी स्व. सांगसिंह
2— देवी सिंह
3— पृथ्वीसिंह
4— पप्पूसिंह } —
5— सुमेरसिंह
6— भैरूसिंह

पिसरान स्व0 सांगसिंह जाति राजपूत निवासीगण पेथडो की ढाणी तहसील कालोयत जिला बीकानेर

7— किरणकंवर पुत्री स्व. सांगसिंह पत्नी दिलिपसिंह जाति राजपूत निवासी पेथडो की ढाणी हाल ग्राम मण्डेला तहसील चिडावा जिला झुन्झूनु
8— राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत
9— इन्द्रकंवर पत्नी सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी पेथडों की ढाणी तहसील कोलायत

— रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :—

1. श्री रामचंद्र सिंह भाटी — अभिभाषक अपीलार्थीयां
2. श्री रविराजसिहं भाटी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 7 व 9
3. पैरोकारराज — राज्य की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक : 25—9—2019

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अधीन आज्ञा विरूद्व उपनिवेशन तसहीलदार गजनेर मु0 कोलायत दिनांक 13.6.2016 के प्रस्तुत गयी हैं। जिसके कि द्वारा इंतकाल सं0 141 मे अपीलांट के नाम सुमन कंवर के स्थान पर सुखी कंवर दर्ज कर दिया गया।

2— अपील प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार हैं कि खेत खसरा न. 1206 जिसका क्षेत्रफल 143 बीघा 5 बिस्वा जो ग्राम शम्भु का बुर्ज तहसील कोलायत मे स्थित हैं, अपीलांटा के पिता स्व0 सांगसिंह व उसके दो भाईयों की संयुक्त खातेदारी व अन्य सह खातेदारों के नाम रही हैं। इन सह खातेदारान मे से सह खातेदार सांगसिंह की मृत्यु हो जाने पर उसकी फौतगी का विरासतन के आधार पर इंतकाल सं0 141 उसके वारिसान अपीलार्थीयां व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 8 के पक्ष मे तहसीलदार उपनिवेशन ने दिनांक 13.6.2016 को सत्यापित कर दिया जिससे सुमन कंवर अपीलार्थी का नाम सुखी कंवर दर्ज कर दिया और अभिकथन किया कि उसका नाम सुखी कंवर गलत रूप से अंकित कर दिये जाने से अपीलाधीन अदेश गलत खिलाफ कानून एवं मिसल रिकार्ड तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरित होने से अवैध हो जाता हैं अपीलांटा ने अपील मीमो के साथ दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील के प्रस्तुतीकरण मे हुई देरी को कण्डोन करने एवं अपील प्रथम ज्ञान की तिथि के आधार पर मियाद मे प्रस्तुत होनी करार दी जाकर इसे स्वीकार कर उसके नाम की दुरूस्ती किये जाने की आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

3– इस अपील मे प्रत्यर्थीगण को राम्मन दिलवाये गये। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 7 व 9 की ओर से श्री रविराजसिहं भाटी एड. ने अपना अभिभाषक पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड भी तलब किया गया जो प्राप्त होने पर पत्रावली के साथ करवाया गया। अपील मे विचाराधीनता के चलते प्रार्थीयां इन्द्र कंवर पत्नि सोहनसिंह की ओर से उनके अभिभाषक श्री रविराजसिहं भाटी ने दिनांक 28.8.19 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया और उसमे लिखवाया कि आक्षेपित इंतकाल मे उसके पति का नाम सोहनसिंह के स्थान पर स्वरूपसिंह लिख दिया गया जो गलत हैं तथा इस कारण से इंतकाल आदेश जैर अपील दूषित हो जाता हैं। अतः उससे व्यथित प्रभावित पक्षकार होने से अपील मे बतौर प्रत्यर्थी पक्षकार संस्थित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। इंद्रकंवर प्रार्थीयां को प्रत्यर्थी सं0 9 के रूप मे पक्षकार बनाया जात हैं। तदनुसार अपील मीमो मे संस्थित कर नोट लगावें।

4– मैने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी व उस पर मनन किया था। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया।

5– सर्व प्रथम हम अपील के मियाद बिन्दु को तय करते हैं। इस केस मे अपील उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर की आज्ञा दिनांक 13.6.2016 के विरूद्व दिनांक 23.7.19 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी हैं जो 3 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की गयी है जो निश्चित तौर पर समय सीमा से बाधित हैं लेकिन दफा 5 मियाद कानून के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मे जो देरी के कारण बतलाये हैं, उसके खण्डन मे कोई विरोध हमारे समक्ष उपस्थित नही किया गया बल्कि रेस्पोडेन्टगण की ओर से उनके प्रार्थना पत्र मे लिखे तथ्यों को सही दर्ज किये जाने का बतला रहे हैं। अतः अपीलार्थीयां के प्रार्थना व शपथ पत्र लिखे देरी के कारणों पर विश्वास करते हुवे इसे स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील प्रस्तुीतकरण मे लगे समय को कण्डोन किया जाता हैं तथा प्रथम जानकारी के आधार पर इसे मियाद मे प्रस्तुत होनी करार दी जाती हैं।

6– जहां तक अपील के नोटिस पर निर्णय लिये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी सुमन कंवर के स्थान पर गलत नाम सुखी कंवर प्रत्यर्थी सं0 9 इन्द्रकंवर के पति का नाम सोहनसिंह के स्थान पर स्वरूप सिह गलत लिख दिये जाने अपील मे किये गये अभिकथन, शपथ पत्र एवं पेशकर्ता दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक पास बुक व भामाशाह कार्ड की प्रतियों से पुष्ट होता हैं। अपील अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी स0 9 के द्वारा प्रस्तुत क्रास आक्षेपाक काबिले मंजूर पाते है जो मंजूर किये जाते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा इंतकाल आक्षेपित मे सुखी कंवर व स्वरूपसिंह के नाम दर्ज किये गये आदेश को निरस्त किये जाते हैं तथा पत्रावली उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत को रिमाण्ड कर ऊपर किये गये सम्प्रेषणों के मुताबिक अपीलार्थी व प्रत्यर्थी स0 9 को सुनवाई का मौका देकर उसमे असल अथवा प्रमाणित प्रतियां दस्तावेज लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/9/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर